न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 135/2024

रामकुमार पुत्र श्री शकर लाल जाति बिश्नोई निवासी 2 डी साधुवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्राथी

–:: बनाम ::–

1. छोटु राम पुत्र श्री भजन लाल जाति बिश्नोई निवासी 2 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थिति ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या– 1 स्वयं उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.10.2025

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसके मन्जूर होने की पूरी पूरी उम्मीद है। प्रार्थी बिश्नोई समाज श्मशान घाट का प्रधान है। बिश्नोई समाज के लिए चक 1 डी छोटी मुरब्बा नम्बर 91/6 में 4.2990 हैक्टेयर रकबा जोहड़ का राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें बिश्नोई समाज का श्मशान घाट 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि में मुरब्बा नम्बर 96/6 की करीब 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि में बना हुआ है। इसी मुरब्बा में मुसलमानों का कब्रिस्तान भी बना हुआ है तथा इसी मुरब्बा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल भी बना हुआ है। यह श्मशान घाट 1947 से पूर्व का बना हुआ है जिसमें बिश्नोई समाज की मृत्यु होने के बाद इस जगह पर दफनाया जाता है तथा श्मशान घाट की भूमि में 6 फुट ऊंची दीवार बनाकर गेट लगा हुआ है तथा इसमें कमरा भी बना हुआ है और इसमें जब कोई बिश्नोई समाज का व्यक्ति 1 डी, 2 डी, 3 डी, 4 डी छोटी, 2 वाई के आसपास किसी भी बिश्नोई समाज के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उपरोक्त जगह पर दफनाया जाता है। कुछ अरसा पूर्व बिश्नोई समाज द्वारा इस श्मशान भूमि की सफाई करवाकर जो दीवार चारों ओर से बनी हुई थी वह टुट जाने के कारण उसका दोबारा निर्माण किया गया। इस बिश्नोई समाज के साथ में मुस्लिम समाज का 2 बीघा रकबा पर कब्रिस्तान बना हुआ है तथा कब्रिस्तान के पीछे में हड्डारोड़ी बनी हुई है तथा बिश्नोई समाज की भूमि पर कोई दरवाजा ना होने की वजह से लोगों के आवारा पशु इस श्मशान घाट में घुस जाते थे तथा आवारा पशु द्वारा घुसने से दफनायें हुए शरीर को निकालकर नोच लिया करते थे इसको ध्यान में रखते हुए बिश्नोई समाज के सदस्यों द्वारा यह तय किया गया कि पूर्व में चार दीवारी टुटी हुई है उसका निर्माण किया जावे तथा आगे से दरवाजा निकाल दिया जावे ताकि श्मशान घाट में शुद्वता बन सके जिस पर प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा बिश्नोई समाज के सहयोग से चारदीवारी बनाकर पूरा दरवाजा बना दिया जिससे श्मशान घाट में शुद्वता हो गयी है जिस पर गांव के सरपंच तथा अन्य लोगों को इस पर जलन हो रही है तथा वह बार–बार प्रार्थना पत्र देते है कि जोहड़ की भूमि पर श्मशान घाट बना रखे है जबकि यह श्मशान घाट 1947 से पहले का बना हुआ है, तब से लेकर आज तक शमशान घाट चल रहा है। कभी भी जोहड़ पायतन का रकबा नहीं है ना ही कभी वहां पर जोहड़ बना, जबकि उपरोक्त 10 बीघा रकबा पर स्कूल चल रहा है जो सरकार द्वारा संचालित है तथा कुछ रकबा पर मुसलमानों का कब्रिस्तान बना हुआ है । केवल बिश्नोई समाज का 2 बीघा 16 बिस्वा पर श्मशान घाट बना हुआ है जो करीब 4 गावों से ज्यादा लोग आकर वहां पर दाह संस्कार करते है और मिट्टी खोद कर दफनाया जाता है। यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व से ही बना हुआ है। इस सम्बन्ध में पूर्व में एक प्रार्थना पत्र जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष कुछ शरारती व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी से मौके की रिपोर्ट मांगी थी जिस पर पटवारी द्वारा 24/06/2024 को रिपोर्ट की थी जिसमें भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि उपरोक्त जोहड़ की जगह पर बिश्नोई समाज का श्मशान घाट व मुसलमानों का कब्रिस्तान तथा पक्का कमरा तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साधूवाली उपरोक्त जोहड़ की जगह पर बना हुआ है जिसका मौके पर नक्शा शामिल दावा हाजा है क्योंकि मौके पर जोहड़ नहीं है इसलिए जो राजस्व रिकार्ड में जोहड़ दर्ज किया गया है वह गलत दर्ज किया गया है। चक 2 डी मुरब्बा नम्बर 91/6 में करीब 2 बीघा 16 बिस्वा में जो बिश्नोई समाज का श्मशान घाट बना हुआ है जो जमाबन्दी में जोहड़ का रकबा दर्ज किया हुआ है उसे हटाकर बिश्नोई समाज का श्मशान घाट दर्ज किया जाना आवश्यक है क्यों कि प्रार्थी बिश्नोई श्मशान घाट का अध्यक्ष है, अध्यक्ष होने के नाते उसे वाद लाने का अधिकार है। चक 1 डी छोटी मुरब्बा नम्बर 91/6 में कभी भी जोहड़ का रकबा नहीं रहा बल्कि सार्वजनिक संस्था व वादीगण के समाज का श्मशान घाट बना हुआ है जिसमें आज भी हमारे समाज के व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसको दफनाया जाता है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में रकबा जोहड़ का होने की वजह से कुछ शरारती लोग झुठे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थी के समाज को परेशान कर रहे है जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। श्मशान घाट पर वर्ष 1945 से लेकर प्रार्थी के समाज का कब्जा चला आ रहा है तथा वहां पर किसी प्रकार का जोहड़ ना होने की वजह से प्रार्थी अपने समाज के हित को ध्यान में रखते हुए श्मशान के हित में श्मशान घाट के नाम रकबा दर्ज करवाने का हकदार है इसलिए राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उपरोक्त रकबा श्मशान घाट दर्ज किया जावे। कुछ शरारती व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त जगह पर जबरन श्मशान घाट को तोड़कर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे है। दो रोज पहले अप्रार्थी कुछ अन्य साथियों को लेकर जो श्मशान घाट की दीवार बनी हुई थी, उसको तोड़ने का प्रयास किया तो जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी अपने समाज के कुछ व्यक्तियों को लेकर मौके पर आया तो कहा कि यह जमीन हमारी नहीं है, हमारे समाज के सभी लोगों की है इस जमीन में कुछ घास वगैरा उग गया था जिससे आवारा पशु आकर जिनका दफन हो चुका है उन्हे निकालने का प्रयास करते है इसलिए हमने समाज के व्यक्तियों ने चन्दा देकर चारों तरफ से दीवार बनाकर गेट लगाया है इससे आपको क्या परेशानी हो रही है तो उसने कहा कि यह श्मशान घाट की भूमि नहीं है जबकि जोहड़ की भूमि है हम तो इसे खाली करवाकर छोड़ेगें जबकि मुरब्बा नम्बर–91/6 में तमाम रकबा राजस्व रिकार्ड में जोहड़ दर्ज है लेकिन कुछ रकबा पर मुसलमानों का कब्रिस्तान है तथा कुछ रकबा पर राजकीय माध्यमिक विद्याल बना हुआ है जबकि प्रार्थी के समाज के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लोगों का श्मशान घाट जो बहुत पुराना बना हुआ है जो केवल करीब 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर ही बना हुआ है जिस पर अप्रार्थी ने कहा कि हम तो इसे तोड़ेगें क्योंकि आपके द्वारा हमें नीचा करने के लिए इसका सौन्दर्यकरण करवाया है। अप्रार्थी द्वारा बार–बार धमकी दे रहा है तथा वह किसी भी समय श्मशान घाट की दीवार तोड़ सकता है तथा कब्जा कर सकता है क्योंकि उपरोक्त भूमि श्मशान घाट के लिए ही बनी हुई है इसलिए प्रार्थी श्मशान घाट के हित को ध्यान में रखते हुए स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। प्रथमदृष्टि से मामला प्रार्थी के पक्ष में है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा श्मशान घाट की भूमि पर निर्मित दीवार को तोड़ दिया या भूमि पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी के दावे का मकसद ही समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थी व प्रार्थी के समाज को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा तहसील श्रीगंगानगर चक 1 डी छोटी मुरब्बा नम्बर–91/6 के 2 बीघा 16 बिस्वा में बिश्नोई समाज के श्मशान घाट की भूमि पर तोड़–फोड़ करने से अप्रार्थी बाज व ममनूं रहें एवं मौका की यथास्थिती कायम रखे जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.पेश नहीं किया गया जिससे अप्रार्थी का जवाब बंद किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किए कि चक 1 डी छोटी मुरब्बा नम्बर–91/6 के 2 बीघा 16 बिस्वा में बिश्नोई समाज के श्मशान घाट की भूमि पर तोड़–फोड़ करने से अप्रार्थी बाज व ममनूं रहें एवं मौका की यथास्थिती कायम रखे जाने का आदेश दिया जाकर प्रकरण में मूल वाद के निर्णय तक स्थगन कन्फर्म किया जावे।

–:: आदेश ::–

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं जमाबंदीयों का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए विधि द्वारा सुस्थापित निम्नांकित 3 बिन्दुओं (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति पर विचार किया गया।

प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवम् सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता। प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा हैं कि अस्थाई निषेधाज्ञा के बिना प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. न्यायालय स्वीकार करना न्यायोचित नहीं पाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिंनाक 28.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner